संख्या:3380/14-2-2014-800(137)/2014

प्रेषक,

लालजी राय,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 22 अक्टूबर , 2014

विषय- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत हिण्डन कट कैनाल में 6 लेन एलीवेटेड रोड निर्माण हेतु 0.385 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 320 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-566/11सी-गाजियाबाद,दिनांक 09 अक्टूबर 2014 तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति संख्या- 8बी/यूपी/06/71/ 2014/ एफसी/1029, दिनांक 26-9-2014 तथा विधिवत स्वीकृति संख्या- 8बी/यूसीपी/ 06/71/ 2014/एफसी/1050, दिनांक 08-10-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत हिण्डन कट कैनाल में 6 लेन एलीवेटेड रोड निर्माण हेतु 0.385 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 320 वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तों/प्रतिबंधों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) भा0स0 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात् 3200 वृक्षों वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा।

(4) भा0स0 अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(5) भा0स0 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव- जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(6) भा0स0 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(7) भा0स0 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी /पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible]

भा0स0 को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिसमें निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(9) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी

भा0स0 प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण् के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में

भा0स0 किया जायेगा।

(11) निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण

भा0स0 द्वारा किया जायेगा और आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

(12) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन

भा0स0 होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(13) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत

भा0स0 आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

(14) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पृत्रांक- 11-98/-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गे

भा0स0 दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(15) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(16) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(17) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(18) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(19) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार रहेगा।

(20) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(21) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विधिवत प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(22) यदि प्रश्नगत भूमि सैन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

(23) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(24) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(लालजी राम)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
(2)- प्रमुख सचिव, आई0टी0इलेक्ट्रानिक्स उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
(3)- वन संरक्षक, मेरठ।
(4)- जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।
(5)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजियाबाद।
(6)- अधिशासी अभियन्ता, जोन-2 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0ए0शुक्ला)
अनुसचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 703 /11सी-गाजियाबाद, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 27 ,2014

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0वन निगम, लखनऊ इस आशय से प्रेषित कि शर्त संख्या-21 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त स्वीकृति को उ0प्र0वन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें। यह कार्यवाही मा0 ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अनिवार्य है।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक सा0वा0प्रभाग, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश में उल्लिखित समस्त शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने के उपरान्त, प्रस्तावित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, जोन-2, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(ए0के0द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।